



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
 (संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
 (A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)



डॉ. धरवेश कठेरिया
Dr. Dharvesh Katheriya
 कुलसचिव
 Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
 ई-मेल/E-mail: registrar@mgahv.in

क्रमांक: 006/Estt./LAC/2014/12 /24
 दिनांक: 03 /01/2024

संशोधित कार्यालयादेश

विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 21 के अनुसरण में कार्यालयादेश क्रमांक:018/2014/पु.स./07/471 दिनांक 05.10.2023 के माध्यम से गठित पुस्तकालय समिति में आंशिक संशोधन के उपरांत पुस्तकालय समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है:

1	कुलपति	अध्यक्ष
2	कुलसचिव	सदस्य
3	वित्ताधिकारी	सदस्य
4	सभी विद्यापीठों के अधिष्ठाता	सदस्य
5	अधिष्ठाता, विद्यार्थी कल्याण	सदस्य
6	एक वरिष्ठ प्राध्यापक (प्रत्येक विद्यापीठ से) प्रो. अनिल कुमार पाण्डेय, प्रोफेसर, भाषा विद्यापीठ डॉ. अशोक नाथ त्रिपाठी, एसोशिएट प्रोफेसर, साहित्य विद्यापीठ डॉ. राकेश कुमार मिश्र, एसोशिएट प्रोफेसर, संस्कृति विद्यापीठ डॉ. रामानुज अस्थाना, एसोशिएट प्रोफेसर, अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ डॉ. धरवेश कठेरिया, एसोशिएट प्रोफेसर, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ श्री धर्मेन्द्र नारायणराव शंभरकर, सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विद्यापीठ प्रो. जनार्दन कुमार तिवारी, विधि विद्यापीठ डॉ. रविन्द्र तु. बोरकर, एसोशिएट प्रोफेसर, प्रबंधन विद्यापीठ डॉ. के. बालराजु, एसोशिएट प्रोफेसर, वर्धा समाज कार्य संस्थान डॉ. शंभू जोशी, एसोशिएट प्रोफेसर, दूर शिक्षा निदेशालय	सदस्य
7	कुलानुशासक	सदस्य
8	पुस्तकालयाध्यक्ष	सदस्य

क्रम संख्या 06 में उल्लेखित सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष की अवधि के लिए होगा।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(कुलसचिव) 03/01/24

प्रति (ई-मेल द्वारा) : उपरोक्त सभी संबंधिता

प्रतिलिपि (ई-मेल द्वारा) :

- (1) कुलपति कार्यालय (2) समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक (3) कुलसचिव कार्यालय
 (4) वित्त विभाग (5) स्थापना एवं प्रशासन विभाग (6) प्रभारी लीला, वेबसाइट पर अपलोड हेतु।